हिन्दुस्तान

अनोखी

नए हिन्दुस्तान की महिलाओं की सच्ची दोस्त और गाइड

शनिवार, 12 अगस्त, 2023

कवर स्टोरी

आप हैं आजाद?

परवरिश : आ जा निंदिया रानी

फैशन : फैब्रिक की बातें

रेसिपी तीन रंग की थाली

हिन्दुस्तान के साथ नि:शुल्क

आपके लिए क्या है आजादी के मायने?

सफलता की नित नई कहानियां लिखने और तमाम अधिकार मिलने के बावजूद क्या भारतीय महिलाएं वाकई में आजाद हो सकी हैं? कहां तक पहुंचा है हमारी आजादी का सफर और कहां आज भी मौके हैं बेहतरी के, बता रही हैं स्वाति गौड़

संस्कृत का एक श्लोक है, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है, उस स्थान पर देवताओं का वास होता है। पौराणिक काल से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन यदि अपने आसपास नजर डाली जाए तो पता चलता है कि सामजिक स्तर पर महिलाओं का महिमा मंडन करने के अलावा उनकी स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ पाया है। ऐसा नहीं है कि आजादी से पहले महिलाओं की दशा और उनकी वर्तमान स्थिति एक समान है। बेशक आजादी के बाद इतने सालों में उन्होंने काफी प्रगति की है और पुरुष बहुल समाज में अपनी पहचान बनाई है। इस सुधार और बदलाव का ही नतीजा है कि स्त्रियां उन क्षेत्रों में भी नाम कमा रही हैं, जो उनके दायरे से बिल्कुल बाहर समझे जाते थे। लेकिन आजादी के हक को

समानतापूर्ण प्रतिनिधित्व का हक

आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में साक्षरता की दर बढ़ रही है, लेकिन पिछड़े हुए इलाकों में आज भी अक्षर ज्ञान को लेकर जागरूकता नहीं बन पाई है। शहरों में हालात संतोषजनक कहे जा सकते हैं, लेकिन दूर-दराज के इलाकों में आज भी लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं माना जाता है। इसी प्रकार ऊंचे पदों पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है। दरअसल, हमारे समाज का तानाबाना ही कुछ ऐसा है कि महिला बॉस का आदेश मानने में काफी पुरुष असहज महसूस करते हैं क्योंकि बचपन से सिखा दिया जाता है कि औरतों का काम आदमियों का आदेश मानना है ना कि उन्हें हुक्म देना है। जब तक इस तरह की सोच कायम रहेगी, तब तक औरतों के लिए चुनौतियां बरकरार रहेंगी।

समान वेतन का अधिकार

महिलाएं घर की दहलीज लांघ कर बाहर तो निकल आई हैं और पुरुष प्रधान क्षेत्रों में स्वयं को स्थापित भी कर लिया है, लेकिन जब बात वेतन की आती है तो सवालिया निशान लग ही जाता है। ग्लास सीलिंग के नाम से जानी जाने वाली यह व्यवस्था साफ तौर पर समानता के अधिकार की धज्जियां उड़ाती दिखाई देती है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी समान क्षमता और कौशल के साथ समान पद पर काम करने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों से कम मेहनताना मिलता है। हैरानी की बात यह है कि इस भेदभाव से कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों को उनके सहअभिनेता से कम मेहनताना मिलता है और बहुत से दफ्तरों में भी समान पद पर काम करने वाली महिलाओं को उनके पुरुष सहकर्मियों की तुलना में कम तनख्वाह दी जाती है।

महसूस करने वाली महिलाओं की संख्या काफी कम है क्योंकि एक बड़ा प्रतिशत आज भी रूढ़ियों और बंधनों के दंश को झेल रहा है।

मंजिल तक पहुंचने से पहले

महिलाओं की आजादी और स्वावलंबन का मुद्दा कितना गंभीर है, यह इसी बात से पता चल जाता है कि सरकार भी उनके उत्थान के लिए तरह-तरह की योजनाएं और अभियान चलाती रहती है। बेटियों को संपत्ति में बेटों के समान अधिकार, तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध, समान शिक्षा का अधिकार, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण और सेना में महिलाओं के लिए स्थाई कमीशन जैसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में उठाए गये हैं। निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ और किया जाना जरूरी है। असल में फौरी तौर पर देखा जाए तो लगता है कि वाकई महिलाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और बयान करती है। महिलाओं के साथ हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, जो आज भी बरकरार हैं। फिर बात चाहे निर्भया कांड की हो या हाल ही में कुकी महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की, महज चर्चा करने से काम नहीं बनता। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में से 127वें पायदान पर है, जो कि पिछले साल की तुलना में बेहतर है। लेकिन महिलाओं को इस बढ़त से कितना लाभ मिल रहा है? इसी रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता हासिल करने में पूरी सदी के जितना समय लग सकता है, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है।

आजादी का सही अर्थ

भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ डट कर अंग्रेजों का सामना किया और तिरंगे का मान बनाए रखने में में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन किसी महिला से पूछा जाए कि क्या वह स्वयं को आजाद महसूस करती हैं तो ज्यादातर जवाब असहमति में ही मिलेंगे, जिसके बहुत से तार्किक कारण हैं। ऐसा नहीं है कि वह आज भी घर की चारदीवारी में कैद हैं और घर संभालना ही उनका एकमात्र कर्तव्य है। लेकिन घर से बाहर अकेले निकलने में डर, सामाजिक प्रतिबंध और अत्यधिक अपेक्षाएं उन्हें खुल कर जीने नहीं देती हैं। भारत में लगभग हर 15 मिनट में एक महिला यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। इतना ही नहीं, ताजातरीन एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार देश में 2019 से 2021 के बीच 13 लाख से ज्यादा महिलाएं गुमशुदा हो गईं, जिनमें ढाई लाख से ज्यादा लड़कियां 18 साल से कम उम्र की हैं। ऐसे अनेक आंकड़े हैं, जो महिलाओं की असल स्थिति बताते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आजादी के सही मायने क्या होने चाहिए।

(डॉ. मालिनी सक्सेना, ह्यूमन एवं सोशल राइट्स एक्टिविस्ट, ग्लोबल एडवोकेट फॉर वीमेन से बातचीत पर आधारित)

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता

महिला स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है, जिसके प्रति स्वयं महिलाएं ही उदासीन रहती हैं। अपनी सेहत की परवाह किए बिना परिवार की देखभाल करने को आदर्श महिला का मापदंड माना जाता है। लिहाजा अधिकतर महिलाएं या तो कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती है या फिर कुपोषण से ग्रस्त हो जाती है। इसी प्रकार मासिक धर्म को लेकर आज भी समाज सहज नहीं है, जिसके कारण इसे आज भी एक बीमारी की तरह देखा जाता है। भारत में हर साल पीरियड में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और साधनों की कमी के कारण करीब 2.3 करोड़ लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पीरियड्स को अपवित्र माना जाता है और बहुत से इलाकों में महिलाओं के साथ उस दौरान अछूतों का सा व्यवहार किया जाता है। पीरियड के प्रति जागरूकता का अभाव औरतों की सेहत के साथ खिलवाड़ ही है।

जानें अपने अधिकार, मांगे अपना हक

- **निजता का अधिकार:** यौन उत्पीड़न और बलात्कार की शिकार महिला पूरी कोर्ट की बजाय सिर्फ जज व एक महिला कांस्टेबल के सामने बयान देने का अधिकार रखती है।
- **निःशुल्क कानूनी सलाह:** हर महिला को अधिकार है कि वह सरकार की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता की मांग कर सकती है।
- **जीरो एफआईआर:** किसी कारणवश पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ होने पर महिलाएं ईमेल या पंजीकृत डाक से पुलिस आयुक्त या उपायुक्त के पास अपनी शिकायत भेज सकती हैं। साथ ही बलात्कार पीड़िता जीरो एफआईआर के तहत किसी भी इलाके के थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है।
- **साइबर क्राइम से सुरक्षा:** किसी महिला की सहमति के खिलाफ उसकी फोटो या वीडियो इंटरनेट पर नहीं डाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त वेबसाइट को सूचित कर न्यायालय में शिकायत की जा सकती है।
- **सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार:** सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी दफ्तरों में यौन उत्पीड़न शिकायत समीति का गठन अनिवार्य है, जिसमें पचास प्रतिशत महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। समीति के पास घटना के तीन महीने के अंदर पीड़िता लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है।
- **कुछ अन्य अधिकार:** समान वेतन, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, घटना के काफी लंबे समय बाद शिकायत दर्ज कराने का अधिकार और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार कुछ ऐसे अन्य महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जिनके बारे में महिलाओं को जरूर पता होना चाहिए।